न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 97/2016 जिला सीकर ।

1. दीनदयाल पुत्र स्व. श्री कजोडमल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. श्री सूरजमल धर्मपत्नी स्व. श्री बालचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदडा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

2. प्रहलादराय पुत्र स्व. श्री कजोडमल
3. विद्या प्रकाश पुत्र स्व. श्री कजोडमल
4. सीताराम पुत्र स्व. श्री कजोडमल
5. मु. धापू देवी बेवा स्व. श्री कजोडमल
6. बंशीधर पुत्र श्री बिहारी लाल
   जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
7. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
9. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
10. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा कोर्ट रोड सीकर तहसील व जिला सीकर
11. ग्राम पंचायत पाटोदा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
12. श्रीमती नर्मदा पुत्र स्व. श्री सूरजमल धर्मपत्नी श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम खेडी दन्तूजला, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 5.10.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हिमांशु सौगानी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

## निर्णय

दिनांक– 30.4.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 5.10.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम पाटोदा , तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा (7.78 हैक्टेयर) एवं खसरा नम्बर 79 रकबा 5 बीघा ( 1.28 हैक्टेयर) कुल किता 2 कुल रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा का

Scanned by CamScanner

खातेदार कुमाराम था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 11.6.64 को ग्रम पंचायत पाटोदा द्वारा कुमाराम के भाई कनीराम के पुत्र कजोड़ मल को उत्तराधिकारी मानते हुये कजोड के नाम स्वीकृत किया है ।

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर विवादित भूमि के खातेदार मृतक कुमाराम के पुत्र सुरजमल जो कुमाराम के जीवनकाल में फौत हो गया था उसकी पुत्री मोहनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.10.2016 द्वारा सरपंच ग्रम पंचायत पाटोदा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 11.10.2014 द्वारा कुमाराम पुत्र स्व. भींवराज जाति ब्राह्मण के सुरजमल (पुत्र) फौत एवं उसके वारिस छोटी देवी (पत्नी) (फौत), मोहनी देवी (पुत्री) जीवित, नर्मदा देवी (पुत्री) जीवित बताये जाने एवं वर्ष 1971 की मतदाता सूची ग्रम पाटोदा के अनुसार मतदाता की कम संख्या 216 कजोड / कन्हैया लाल, 2317 धापा / कजोड, 218 जवारी / कन्हैया लाल व 219 पर छोटी / सुरजमल अंकित है । इस प्रकार वर्ष 1971 तक सूरजमल की पत्नी छोटी देवी जीवित है । ऐसी स्थिति में अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 नर्मदा खातदेार कुमाराम के जायन्दा वारिस है इनके पिता सूरजमल की कुमाराम से पूर्व मृत्यु हो गई थी । कुमाराम को लाऔलाद फौत बताक़र कनीराम के पुत्र कजोड को ग्रम पंचायत पाटोदा द्वारा उत्तराधिकार का नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 11.6.64 को स्वीकृत किया गया है जिसका दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 कुमाराम के वारिस है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 11.6.1964 ग्रम पंचायत पाटोदा खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि मृतक कुमाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः नामांतरकरण भरवाकर तस्दीक करें ।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 5.10.2016 से व्यथित होकर कजोडमल के पुत्र दीनदयाल द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 5.10.2016 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 44 ग्रम पंचायत पाटोदा दिनांक 11.6.1964 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार कुमाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत ने सार्वजनिक सभा में बाद जॉच अपीलान्ट के पिता कजोड के नाम दिनांक 11.6.1964 में तस्दीक किया था जिसके खिलाफ मोहनी पुत्री सूरजमल ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 1.12.2015

Scanned by CamScanner

को प्रस्तुत की थी जो 52 साल के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं होकर कपोल कल्पित था । अधीनस्थ न्यायालय ने इनते लम्बे निराशाजनक विलम्ब के संबंध में अपीलाधीन आदेश में कोई अभिमत अंकित किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय करना चाहिये था उसके बाद ही गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता था । उनका कहना था कि मोहनी देवी प्रश्नगत नामांतरकरण में पक्षकार नहीं थी इसलिये उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में मोहनी देवी की अपील संधारण योग्य नहीं थी एवं अपील स्वीकार किये जाने का कोई कारण शेष नहीं था । यदि मोहनी देवी के विवादित भूमि में कोई अधिकार बनते हैं तो उसके पास नियमित दावा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है । उनका कहना था कि कजोडमल के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट एवं प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 5 निरन्तर काबिज काश्त रहे हैं तथा कजोडमल द्वारा दिनांक 31.5.1976 को आराजी खसरा नम्बर 53' के 1/4 हिस्से का विक्रय कर बंशीधर पुत्र बिहारी लाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 को कब्जा सम्भला दिया था ओर बंशीधर भूमि पर काबिज काश्त है । रेस्पोंडेन्ट मोहनी देवी का विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जा नही होने एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत करने की समयावधि समाप्त होने की वजह से अधिकार समाप्त हो गये है और अधिकार विहीन व्यक्ति की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार की है, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कुमाराम के एक पुत्र सुरजमल थे जो कुमाराम से पहले ही फौत हो गये थे तथा सुरजमल की छोटी देवी (फौत) पत्नी, मोहनी देवी एवं नर्मदा देवी पुत्रियॉ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 एवं 12 है, जो विवादित भूमि के मृतक खातेदार कुमाराम की पुत्रवधु एवं पौत्रियॉ होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वैध वारिस है, लेकिन कुमाराम को लाऔलाद फौत बताते हुये साजिश कर कजोड के नाम नामांतरकरण तस्दीक करवा लिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधिविरूद्ध तथा अवैध एवं शून्य होने से उसे चुनौती देने के लिये समय सीमा बाधित नहीं है । प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना सुने तथा वारिसान की विधिवत जॉच किये बिना तस्दीक किये जाने से उसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट्स को समय पर नहीं हो सकी एवं पटवारी से राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर जानकारी होने पर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करदी थी । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट 1 व 12 मृतक खातेदार कुमाराम की विधिक वारिस है जिनके अधिकार मियाद के बिन्दु पर समाप्त नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश से

Scanned by CamScanner

स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये मृतक कुमाराम के विधिक वारिसान की जॅाच कर पुनः नामांतरकरण भरवाकर तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण विवादित भूमि के खातेदार कुमाराम की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत द्वारा कुमाराम की विरासत का प्रश्नगत नामातरकरण कजोडमल के नाम स्वीकार किया है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मोहनी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 नर्मदा मृतक खातेदार कुमाराम के पुत्र सुरजमल जो कुमाराम से पहले ही फौत हो गया था, की पुत्रियॅा होने से कुमाराम की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम करवाना चाहती है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2016 द्वारा सरपंच ग्रम पंचायत पाटोदा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 11.10.2014 द्वारा कुमाराम पुत्र स्व. भींवराज जाति ब्राह्मण के सुरजमल (पुत्र) फौत एवं उसके वारिस छोटी देवी (पत्नी) (फौत), मोहनी देवी (पुत्री) जीवित, नर्मदा देवी (पुत्री) जीवित बताये जाने एवं वर्ष 1971 की मतदाता सूची ग्रम पाटोदा के अनुसार मतदाता की क्रम संख्या 216 कजोड/ कन्हैया लाल, 2317 धापा/कजोड, 218 जवारी/कन्हैया लाल व 219 पर छोटी/सुरजमल अंकित है । इस प्रकार वर्ष 1971 तक सूरजमल की पत्नी छोटी देवी जीवित है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 नर्मदा खातदेार कुमाराम के जायन्दा वारिस है इनके पिता सूरजमल की कुमाराम से पूर्व मृत्यु हो गई थी । कुमाराम को लाऔलाद फौत बताकर कनीराम के पुत्र कजोड को ग्रम पंचायत पाटोदा द्वारा उत्तराधिकाार नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 11.6.64 में स्वीकृत किया गया है जिसका दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 कुमाराम के वारिस है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 11.6.1964 ग्रम पंचायत पाटोदा खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि मृतक कुमाराम के विधिक वारिसान की जॅाच कर पुनः नामांतरकरण भरवाकर तस्दीक करें ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मृतक खातेदार कुमाराम के पुत्र की पुत्रियॅा अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 एवं पुत्रवधु विधिक वारिसान है जिन्हे छोडते हुये कुमाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 11.6.64 को ग्रम पंचायत ने कजोड के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 12 मृतक कुमाराम की पौत्रियां होने से उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक

Scanned by CamScanner

एवं न्यायिक है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.10.2016 से रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 11.6.64 निरस्त करते हुये कुमाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः नामांतरकरण भरवाकर तस्दीक करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner